पंचम व्यवहार न्यायाधीश अनुराधा गौतम ने जारी किया स्थगन आदेश

निगम की फुड जोन योजना को झटका, कोर्ट ने जारी किया स्थगन आदेश

पत्रिका कोर्ट न्यूज

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. स्टेडियम मार्केट स्थित दुकानों के स्थान पर नगर निगम की फुड जोन बनाने की योजना को कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने दो किराएदारों की तरफ से कोर्ट में लगाई याचिका पर स्थगन आदेश जारी करते हुए यथास्थिति बनाने को कहा है। इन दोनों किराएदारों की तरफ से एडवोकेट संदीप निगम ने यह याचिका दायर की थी। ये वे दुकानदार है जिन्हें अपनी दुकानें सात दिन में खाली करने का नोटिस निगम की तरफ से जारी किया गया था। शेष दुकानदार जिन्हें एक माह की अवधि दी गई है उनकी तरफ से फिलहाल कोई प्रकरण न्यायालय में दाखिल नहीं कराया गया है।

स्टेडियम मार्केट स्थित दुकानदारों को नगर पालिक निगम ने सात दिवस के अंदर दुकान खाली करने का सूचना पत्र दिया था। विगत कुछ दिनों से इन दुकानों की जगह फुड जोन बनाए जाने के संबंध में नगर में चर्चा व्याप्त थी। इसी बाबत् सभी किरायेदारों को जो कि वर्ष 1995 से अपना रोजगार इन दुकानों के माध्यम से प्राप्त कर रहे थे, उन्हें आनन-फानन सूचना पत्र जारी कर नगर पालिक निगम जबरन दुकानें खाली करवाना चाहती थी। इस कार्रवाई के विरोध में किराएदार अशोक शर्मा व अब्दुल वकार ने न्यायालय के समक्ष उक्त कार्रवाई पर स्थगन की कार्रवाई के लिए वाद लगाया था। प्रकरण त्वरित प्रकृति का होने का तर्क देते हुए अपनी तरफ से एडवोकेट संदीप निगम के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किए गए थे। प्रस्तुत आवेदनों में वर्णित तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर किरायेदार मानते हुए पंचम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड अनुराधा गौतम ने प्रथम दृष्टया प्रकरण होने से और किराएदारों को अपूरणीय क्षति को ध्यान में रखते हुए प्रकरण में मौके पर यथास्थिति बनाये जाने का निर्देश प्रदान किया है।

पत्रिका 13/10/21

जनसुनवाई में कलेक्टर हुए नाराज, बोले...

मानवीय संवेदना रखते हुए तत्काल कार्य करो, जनसुनवाई में पहुंचे 48 आवेदन

रतलाम ■ राज न्यूज नेटवर्क

जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने आवेदकों की समस्याएं, शिकायतें सुनते हुए निराकरण के निर्देश संबंधित विभागों को जारी किए। इस दौरान अपर कलेक्टर एम.एल. आर्य, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिड़े, एसडीएम अभिषेक गहलोत, डिप्टी कलेक्टर सुश्री मनीषा वास्कले तथा सुश्री कृतिका भीमावद ने भी जनसुनवाई की। निगमायुक्त सोमनाथ झारिया सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

जनसुनवाई में जावरा की श्रीमती अर्चना शर्मा द्वारा आवेदन दिया गया कि उनके पति प्रकाशचंद शर्मा ग्राम ऊपरवाडा के शा.हाईस्कूल में शिक्षक थे। उनकी मृत्यु कोरोना से विगत अप्रैल में हुई लेकिन आज तक उनके परिजनों को पति के आर्थिक स्वत्व का भुगतान नहीं किया गया। इससे परिवार की आर्थिक हालत खराब हो गई, मानसिक रूप से भी परेशान है पेंशन भी नहीं मिल रही है। आवेदिका श्रीमती शर्मा की परेशानी सुनकर कलेक्टर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध सख्त नाराज हुए। सहायक संचालक को बुलाकर कहा कि मानवता का भाव रखना चाहिए। दिवंगत शिक्षक के जितने भी क्लेम है वे परिवार को दिलाने के लिए कार्यवाई करो और मुझे सूचित करो। शैरानीपुरा रतलाम निवासी अजीज खां पिता बिन्दु खां ने आवेदन देते हुए कहा कि प्रार्थी की पैतृक भूमि भीलखेडी में स्थित है जिसका सर्वे नंबर 183/6 रकबा 0.400 हेक्टेयर पर भीलखेडी के ही कुछ लोगों द्वारा जबरन कब्जा कर अतिक्रमण कर लिय गया है तथा आए दिन लड़ाई-झगड़ा करने प आमादा हो जाते हैं। प्रकरण निराकरण हे तहसीलदार नामली को भेजा गया है।

प्रकरण संबंधित विभाग को भेजा गया

काटजू नगर निवासी डा.मोहन परमार जनसुनवाई के दौरान आवेदन में बताया वि नगर निगम विकास शाखा की योजना क्रमां 44 काटजू नगर पर भवन क्रमांक 148 सामने की शासकीय भूमि पर कुछ कतिप लोगो द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है त उक्त भूमि पर आए दिन असामाजिक लो का जमघट लगा रहता है जिससे समीप रहने वाले लोगो को मानसिक रुप से क्ष पहुंच रही है। उक्त लोगो से कुछ कहा जाता तो वे मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। शी न्याय किया जाए। प्रकरण निराकरण संबंधित विभाग को भेजा गया है।

राज एक्सप्रेस 13/10/21

11 हजार की सामाजिक पेंशन पर खतरा

22 तक सर्वे नहीं हुआ तो नहीं मिलेगी राशि

रतलाम. शहर में 11 हजार ऐसे लोग है जिनके सामाजिक पेंशन के सर्वे होना अब तक शेष हैं। ऐसे में अगर 22 अक्टूबर तक इनके सर्वे नहीं हुए तो दीपावली मनाना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बगैर सर्वे में नाम आए इनको पेंशन नहीं मिलेगी। अब शहर विधायक चेतन्य काश्यप ने इसके लिए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम व नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया से बुधवार से ही सर्वे कार्य करने को कहा है। इतना ही नहीं शहर में 24 हजार लोगों के आयुष्मान कार्ड भी बनना अब तक शेष है।

आयुष्मान कार्ड व सामाजिक सुरक्षा पेंशन सत्यापन कार्य की निगम आयुक्त झारिया ने बिते दिनों समीक्षा की थी। इस दौरान कार्य को तेजी से करने के को कहा गया था। समीक्षा बैठक में प्रोजेक्टर के माध्यम से कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया। बता दे कि निगम द्वारा अब तक 7524 आयुष्मान कार्ड बनाये है। आयोजित बैठक में निगम आयुक्त झारिया को कर्मचारियों ने बताया शहर में करीब 11 हजार सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राही का सत्यापन किया जाना हैं। इसके साथ ही शहर में 24 हजार हितग्राहियों के आयुष्यमान कार्ड बनाया जाना हैं।

इसलिए हो रहा फिर से सर्वे

असल में शहर में ऐसे कई लोग है जिनके बारे में यह जानकारी सामने आई थी कि उन्होंने फर्जी दस्तावेज जमाकर पेंशन लेना शुरू कर दिया। इसकेअलावा कुछ शहर छोड़कर चले गए तो कुछ की मृत्यु हो गई। इसके बाद भी पेंशन चालु रही। पूरे मामले में सभी की एक साथ पेंशन को बंद कर दिया गया। बाद में इसको सर्वे करके शुरू किया जा रहा है।

22 तारीख को जमा होती पेंशन

सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों का सत्यापन करने की प्रक्रिया रतलाम में काफी धीमी चल रही है। सरकार द्वारा प्रतिमाह 22 तारीख को हितग्राहियों के खाते में पेंशन जमा की जाती है। यदि समयबद्धता से सत्यापन कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो हितग्राहियों को 22 अक्टूबर पश्चात पेंशन प्राप्त करने में दिक्कत आएगी। तय तारीख के पूर्व सर्वे करने को कहा है।- **चेतन्य काश्यप**, शहर विधायक

पत्रिका

पत्रिका 13/10/21

लोकेंद्र भवन के सामने दुकानें खाली करने के मामले में स्टे

नगर निगम को नोटिस दिया, लागू स्टे खारिज भी किए

भास्कर संवाददाता | रतलाम

लोकेंद्र भवन के सामने 53 दुकानों को नगर निगम ने दुकान खाली करने के नोटिस जारी किए हैं। दो दुकानों के किराएदार के आवेदन पर कोर्ट ने स्टे जारी किया है।

इंदौर की तर्ज पर क्षेत्र में फूड जोन विकसित किया जाना है। इसके लिए निगम ने नेहरू स्टेडियम के 53 दुकानदारों को दुकानें खाली करने के नोटिस जारी किए हैं। इस नोटिस के खिलाफ दुकानदारों ने अलग-अलग समूहों में न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किए। दुकानदारों की ओर से अभिभाषक संदीप निगम, नीरज सक्सेना और दीपक तिवारी ने पक्षकारों की ओर से बहस की। न्यायाधीश अनुराधा गौतम ने किराएदार अशोक शर्मा और अब्दुल वकार के आवेदन पर स्टे ऑर्डर जारी कर नगर निगम को जवाब देने के लिए नोटिस दिया है। अन्य में से कुछ आवेदनों में जारी स्टे को खारिज करने के भी आदेश हुए हैं। दुकान किराएदार अशोक शर्मा और अब्दुल वकार की ओर से प्रस्तुत आवेदन में अभिभाषक संदीप निगम ने बताया पक्षकार सन 1995 से किराएदार हैं और रोजगार से परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं। नगर निगम दुकान खाली करवाकर निविदा के माध्यम से अन्य किसी को दुकानें आवंटित करना चाहती है। किराएदारी के पक्ष में 1995, 2000 और 10 अगस्त 2021 को जमा किराए की रसीदें प्रस्तुत की। न्यायाधीश ने जारी आदेश में लिखा है कि निगम ने सात दिवस के भीतर वादग्रस्त दुकान खाली करने के आदेश दिए हैं इससे स्पष्ट है कि दुकान आवेदक के आधिपत्य में है। प्रकरण में नगर निगम को नोटिस जारी कर सुनवाई की तारीख 25 अक्टूबर निर्धारित की है।

पशुमालिकों की दादागिरी, निगम ने जहां तबेला तोड़ा वहां फिर बना लिया

रतलाम | नगर निगम की कार्रवाई के बावजूद पशुपालक नहीं बाज आ रहे हैं। मंगलवार को नगर निगम की टीम जब शहर सराय पहुंची तो यहां आबिद हुसैन ने फिर से तबेला बना लिया था। इस पर निगम की टीम ने इसे तोड़ा। इसके पहले भी यहां तबेला तोड़ा गया था। निगम की कार्रवाई को दरकिनार कर आबिद हुसैन ने फिर भैंसों का तबेला बना लिया था। इस पर निगम ने इसे तोड़ा और 10 हजार रुपए का जुर्माना किया। साथ ही आगे से तबेला सार्वजनिक स्थान पर नहीं संचालित करने के निर्देश दिए। शेरानीपुरा निवासी असलम-बशीर खान शहरी क्षेत्र में भैंसे घुमाते मिले। इस पर निगम ने असलम खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।

दै. भास्कर 13/10/21

आयुक्त ने की आयुष्मान कार्ड व सामाजिक सुरक्षा पेंशन सत्यापन कार्य की समीक्षा, काम में तेजी लाने के निर्देश दिए

● रतलाम

आयुष्मान कार्ड बनाने के कार्य की प्रगति व सामाजिक सुरक्षा पेंषनरों के सत्यापन कार्य की समीक्षा निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने अलकापुरी कम्युनिटी हॉल में करते हुए कहा कि यह षासकीय कार्य होने के साथ ही मानव सेवा का कार्य भी है इस हेतु नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी तेजी से इस कार्य को पूर्ण कर रतलाम को नम्बर 1 बनाएं।

आयोजित समीक्षा बैठक में निगम आयुक्त ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंषन के हितग्राहियों का सत्यापन शासन निर्देशानुसार मोबाईल एप से किया जाता है इस हेतु वार्ड दरोगा अपने-अपने मोबाईल में एम पेंषन मित्र एप डाउनलोड करे व इसकी आईडी बनाने हेतु समग्र आईडी व आधार कार्ड तत्काल निगम के आईटी सेल में उपलब्ध कराना सुनिष्चित करें। उन्होने कहा कि आईडी बनने के बाद एम पेंशन मित्र पोर्टल पर अपना कार्यक्षेत्र दर्ज करेंगे तो सभी हितग्राहियों की जानकारी मय फोटो के आ जायेगी जिससे सत्यापन कार्य करने में सुविधा होगी। निगम आयुक्त ने बताया कि बीपीएल राशन कार्डधारी को ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ प्राप्त होता है साथ ही उन्हे आयुष्मान कार्ड बनाने की भी पात्रता है इसलिये दोनो कार्य एक साथ किये जा सकते है। अग्निबाण

अग्निबाण 12/10/21

आयुष्मान कार्ड व सामाजिक सुरक्षा पेंशन सत्यापन कार्य की निगम आयुक्त झारिया ने की समीक्षा

सिंघम रिपोर्टर ☐ रतलाम

आयुष्मान कार्ड बनाने के कार्य की प्रगति व सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों के सत्यापन कार्य की समीक्षा निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने अलकापुरी कम्युनिटी हॉल में करते हुए कहा कि यह शासकीय कार्य होने के साथ ही मानव सेवा का कार्य भी है इस हेतु नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी तेजी से इस कार्य को पूर्ण कर रतलाम को नम्बर 1 बनायें।

आयोजित समीक्षा बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों का सत्यापन शासन निर्देशानुसार मोबाईल एप से किया जाता है इस हेतु वार्ड दरोगा अपने-अपने मोबाईल में एम पेंषन मित्र एप डाउनलोड करे व इसकी आईडी बनाने हेतु समग्र आईडी व आधार कार्ड तत्काल निगम के आईटी सेल में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि आईडी बनने के बाद एम पेंषन मित्र पोर्टल पर अपना कार्यक्षेत्र दर्ज करेंगे तो सभी हितग्राहियों की जानकारी मय फोटो के आ जायेगी जिससे सत्यापन कार्य करने में सुविधा होगी। निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि बीपीएल राषन कार्डधारी को ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ प्राप्त होता है साथ ही उन्हे आयुष्मान कार्ड बनाने की भी पात्रता है इसलिये दोनो कार्य एक साथ किये जा सकते है।

आयुष्मान कार्ड की समीक्षा करते हुए निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया कि अपने-अपने कार्यक्षेत्र में जाकर ऐसे हितग्राही जो कि आयुष्मान कार्ड के लिये पात्र है उन्हे निगम के आईटी सेल में मय दस्तावेजो के भेजकर आयुष्मान कार्ड बनवाना सुनिश्चित् करें इस कार्य के लिये आईटी सेल में 2 षिफ्टों में कम्प्युटर आपरेटरो को नियुक्त किया गया है। आयोजित बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि रतलाम नगर में 11 हजार के लगभग सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राही है जिनका सत्यापन किया जाना है साथ ही रतलाम नगर में 24 हजार हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाया जाना है इस हेतु नियुक्त अधिकारी व कर्मचारी तेजी से इस कार्य को पूर्ण करें इसके व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु नगर में एलान भी कराया जा रहा है साथ ही पम्पलेट का भी वितरण किया जायेगा।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों के सत्यापन व आयुष्मान कार्ड बनाने के कार्य का प्रशिक्षण प्रोजक्टर के माध्यम नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को दिया जाकर कार्य में आ रही परेशानियों का निराकरण किया गया। सिंघम टा० 12-10-

सिंघम 12/10/21

शाकम्भरी

जिला चिकित्सालय परिसर में भी बनाए जा रहे हैं आयुष्मान कार्ड

रतलाम। कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा पात्र व्यक्तियों को दिलाने के पुरजोर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए अन्य स्थानों के अलावा जिला चिकित्सालय रतलाम परिसर में भी आयुष्मान कार्ड बनाने की व्यवस्था की गई है जो भी व्यक्ति उपचार के लिए जिला चिकित्सालय आते हैं वहां पात्रता होने पर आयुष्मान कार्ड भी बना सकते हैं।

शाकम्भरी दर्पण 13/10/21

लीकेज होने या नालियों के ओवरफ्लो होने पर गंदा पानी नालों के माध्यम से जाता है पाइप लाइन में

शहरी पेयजल लाइन के साथ बह रही नालियां

पत्रिका अभियान

त्योहारों पर
नियमित हो जलापूर्ति

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. शहर में नलों के माध्यम से घरों में गंदा पानी पहुंचने के पीछे एक बड़ा कारण बाजार में पाइप लाइन का नालियों में बिछा होना भी है। ऐसे में जब भी पाइप लाइन लीकेज होती है या फिर नल की टोटीया खुली रहती है नालियों के ओवरफ्लो होने की स्थिति में उसका गंदा पानी नालों के माध्यम से पाइप लाइन में पहुंच जाता है। दरअसल बाजार में अधिकांश घरों के बाहर लगे नल नालियों से सटे हुए हैं तो कुछ बिल्कुल जमीन पर हैं, ऐसे में नल बंद होने के दौरान सड़क पर बहने वाली गंदगी भी पाइप लाइन में पहुंच जाती है।

बाजार में कई स्थानों पर सरकारी नल लगे हुए हैं लेकिन उनमें से टोटियां गायब है जिसके चलते जिस दिन नल आते हैं, उस दिन हजारों लीटर पानी सड़कों पर और नालियों में व्यर्थ बह जाता है। पानी की बर्बादी हर तरफ हो रही है

लेकिन जिम्मेदार है कि उस पर ठीक से ध्यान नहीं दे रहे हैं। यदि व्यवस्था में सुधार लाया जाएगा तो जल्द ही व्यर्थ बहने वाला हजारों लीटर पानी बच सकता है। जिसके माध्यम से लोगों को पर्याप्त मात्रा में प्रतिदिन पेयजल वितरण किया जा सकता है।

हो रही पानी की बर्बादी

धोलावाड़ से शहर तक आने वाली मुख्य पेयजल पाइप लाइन से भी हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह जाता है ऐसा ही एक मामला मंगलवार को देखने को मिला जब रतलाम-धोलावाड़ मार्ग पर उमर घाटे के समीप शहर तक पानी पहुंचाने वाली मुख्य पाइप लाइन के वॉल्व से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बहता नजर आया। यहां आस-पास के लोगों की माने तो आए दिन इस तरह से कहीं ना कहीं लाइन में लीकेज होने से पानी व्यर्थ बहता नजर आता है। पत्रिका

सुधार का है दावा

नगर निगम का दावा है कि वह लगातार पाइप लाइन लीकेज और वॉल्व में होने वाले लीकेज की सूचना पर उन्हें ठीक करता है। इतना ही नहीं अक्टूबर माह से लेकर अब तक 700 से अधिक पाइपलाइन लीकेज बंद करने और 150 से अधिक वॉल्व में हुए लीकेज को सुधारा गया है। निगम के दावे के उलट शहर में आज दिन लोगों को पानी के संकट से जूझना पड़ता है और पता यही चलता है कि कहीं वॉल्व लीकेज है तो कहीं पाइप लाइन फूटी है।

पत्रिका 13/10/21

तबेला तोड़कर किया जुर्माना

रतलाम। शहर को साफ-स्वच्छ बनाने के लिए नगरीय क्षेत्र में स्थित तबेलों को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत गत दिनों शहर सराय क्षेत्र में आबिद हुसैन के तबेले को तोड़ा गया था। तबेला तोड़ने के बाद पुन: तबेला निर्माण करने पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा तोड़ा जाकर संबंधित पर 10 हजार रुपये जुर्माना कर भविष्य में तबेला निर्माण व संचालित नहीं करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा शेरानीपुरा निवासी असलम-बशीर खान द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर भैंसें घुमाने पर निगम आयुक्त के निर्देशानुसार संबंधित की स्टेशन रोड थाने में एफआइआर दर्ज करवाई गई।

सख्त कार्रवाई

- सार्वजनिक स्थल पर भैंसें घुमाने पर असलम खान के विरुद्ध एफआइआर
- भविष्य में तबेला बनाने या संचालित नहीं करने के दिए निर्देश

नईदुनिया

नईदुनीया 13/10/21

फुटपाथ पर जूते-चप्पल सुधारने वालों का हटाया, विरोध में दिया ज्ञापन

अतिक्रमण के नाम पर बेरोजगार कर रहा निगम

अग्निबाण 10/10/2021

● रतलाम।

नगर निगम द्वारा शहर विकास के नाम पर लोगो को बेरोजगार किया जा रहा है। पहले 56 दुकान के नाम पर स्टेडियम मार्केट के दुकानदारों की दुकानें तोड़कर वहां फूड जोन बनाया जा रहा है, जिससे वहां रोजगार कर रहे 50 से अधिक परिवारों को बेरोजगार किया जा रहा है। इसके बाद फुटपाथ पर मोची का काम करने वाले लोगों को भी नगर निगम हटा रहा है।

महू रोड स्थित सुभाष काम्पलेक्स और अन्य जगह मोची का काम करने वाले लोगों को हटाये जाने के विरोध में सोमवार को कलेक्टोरेट में संत रविदास समाज फुटपाथ व्यापारी संघ के लोगों ने पहुंचकर कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार पूजा भाटी को ज्ञापन सौंपा और उन्हे उनकी जगह से नही हटाने की मांग की। संत रविदास समाज फुटपाथ व्यापारी संघ के अध्यक्ष प्रभुलाल सोलंकी ने बताया कि नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया द्वारा महू रोड स्थित सुभाष काम्पलेक्स के बाहर जुते चप्पल सुधारने वाले लोगों को हटाने के विरोध में मोची समाज के लोगो ने विरोध दर्ज कराते हुए उन्हे नही हटाने की मांग की। साथ ही कहा कि अपना दुकाने हटा लेना वरना इन्हे जेसीबी से हटा दूंगा।

अग्निबाण 12/10/21

होमगार्ड कॉलोनी की सरकारी जमीन पर भू माफिया का कब्जा

भास्कर

रतलाम | होमगार्ड कॉलोनी निवासी सामाजिक कार्यकर्ता नंदकिशोर चौहान ने मंगलवार को कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम को शिकायत की। कलेक्टर द्वारा माफिया के खिलाफ चलाए जा रहे हैं अभियान का स्वागत किया। साथ ही बताया कि होमगार्ड कॉलोनी की सरकारी जमीन पर भी भू माफिया ने कब्जा जमा रखा है। सरकारी जमीन पर किसी ने मकान बना लिए तो किसी ने दुकानें बना ली हैं। इसकी शिकायत पूर्व में की थी तो जिला प्रशासन का अमला पहुंचा था व दुकानों को तोड़ा था। लेकिन दुकानदारों ने फिर से दुकानें बना ली हैं व सरकारी जमीन पर कारोबार कर रहे हैं। उन्होंने कलेक्टर को दस्तावेज भी सौंपे व उन्हें बताया कि भूमाफिया से यहां की सरकारी जमीन मुक्त कराई जाए।

दै. भास्कर 13/10/21

शहर सराय आबिद हुसैन के भैंस के तबेले को तोड़ास 10 हजार की राशि का किया जुर्माना

रतलाम । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु निगम नगर निगम एक्ट के विरूद्ध नगरीय सीमा क्षेत्र में संचालित भैंसो के तबेले गये थे जिसके तहत षहर सराय क्षेत्र में आबिद हुसैन के तबेले को भी तोड़ा गया तबेला तोड़ने के बाद पुनः तबेला निर्माण करने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा तोड़ा जाकर संबंधित पर 10 हजार की राषि का जुर्माना कर भविश्य में तबेला निर्माण व संचालित नहीं करने के निर्देष दिये गये। इसके अलावा षैरानीपुरा निवासी असलम-बशीर खान द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर भैंसे घुमाने पर निगम आयुक्त श्री झारिया के निर्देषानुसार संबंधित की स्टेषन रोड थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। उक्त कार्यवाही के दौरान उपयंत्री श्री राजेन्द्र मिश्रा, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े आदि उपस्थित थे।

दब एक्सप्रेस 13/10/21

शहर में फिर हुई तबेले तोड़ने की कार्रवाई

शहर सराय में भैंस के तबेले को तोड़ा, एफआइआर भी हुई दर्ज

पत्रिका करंट इश्यू

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. शहर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने के लिए निगम नगर निगम अधिनियम 1956 के विरूद्ध नगरीय सीमा क्षेत्र में संचालित भैंसो के तबेले तोड़ने का कार्य एक बार फिर से शुरू हो गया है। मंगलवार को निगम के स्वास्थ्य विभाग के नेतृत्व में शहर सराय सहित अन्य स्थान पर बड़ी कार्रवाई की गई है। शहर सराय में पिछले माह निगम के दल ने तबेला तोड़ा था, वहां एक युवक द्वारा फिर से निर्माण कर दिया गया, इसके बाद दल ने जाकर फिर से तबेले तो तोड़ा है। इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति द्वारा मवेशी सड़क पर छोड़ने पर अर्थदंड 10 हजार रुपए वसूला गया है।

निगम के स्वास्थ्य अधिकारी एपीसिंह ने बताया सराय क्षेत्र में आबिद हुसैन के तबेले को पूर्व में भी तोड़ा गया था। तबेला तोड़ने के बाद सूचना आई की हुसैन द्वारा फिर से तबेला निर्माण कर लिया गया है। इसकेबाद स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा तबेले को तोड़ा जाकर संबंधित पर 10 हजार की राशि का जुर्माना किया है। पुलिस में करवाई एफआईआर इसके अलावा शेरानीपुरा निवासी असलम पिता बशीर खान द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर भैंसे घुमाने पर निगम आयुक्त झारिया के निर्देश पर संबंधित की स्टेशन रोड पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। कार्यवाई के दौरान उपयंत्री राजेन्द्र मिश्रा, झोन प्रभारी पर्वत हाड़े आदि उपस्थित थे।

पत्रिका 13-10

पत्रिका 13/10/21

बिल्डर के साथ मिलीभगत कर खेल करने वाले निगम एवं टीएनसीपी के अफसर नपेंगे, रेसीडेंसी की अनुमति भी निरस्त होने की कगार पर

द्वारका रेसीडेंसी...खाऊ अफसरों पर लटकी तलवार

● रतलाम

भूमाफियाओं से लेकर विभिन्न कालोनाइजरों और निर्माण के खेल में खिलाड़ी बनने वाले निगम एवं टीएनसीपी के खाऊ अफसरों पर अब द्वारका रेसीडेंसी के बहाने कार्रवाई की तलवार लटक गई है। मिलीभगत कर अवैध निर्माण का खेल करवाने वाले ऐसे अफसरों पर अब कार्रवाई होगी तो वहीं द्वारका रेसीडेंसी भी कितनी और कैसे बचेगी, यह बड़ी चर्चा बन गई है।

सैलाना रोड ओवरब्रिज के पास स्थित द्वारका रेसीडेंसी में आगे की 15276 वर्गफीट शासकीय भूमि को सुरक्षित करने के बाद एप्रोच रोड बताने के मामले में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने सोमवार को मामले में निर्णय भी दे दिया। कलेक्टर ने नगर निगम आयुक्त व उप संचालक नगर व ग्राम व निवेश विभाग को विधि अनुसार परीक्षण कर अनुमति निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। वहीं नगर निगम व टीएनसीपी के उन अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए शासन को प्रस्ताव भेजने का भी आदेश दिया है जिन्होंने बिल्डर के साथ मिलीभगत कर शासकीय भूमि का रास्ता बताया। पूरे मामले में 15 दिन में प्रतिवेदन देने के आदेश दिए गए हैं। मालूम हो कि 28 अगस्त को कलेक्टर के निर्देश पर द्वारका रेसीडेंसी के आगे के हिस्से की भूमि पर पोल लगाकर शासकीय भूमि सुरक्षित की गई थी। इसके बाद द्वारका रेसीडेंसी के संचालक जितेंद्र नागल द्वारा हाईकोर्ट में याचिका लगाने पर कलेक्टर को सुनवाई के लिए निर्देशित किया गया। प्रकरण में सुनवाई के बाद अब फैसला दिया गया है।

कलेक्टर के आदेश में उल्लेख किया गया है कि हैदरी एंड सन्स के नाम रकबा 0.780 हेक्टयर भूमिस्वामी स्वत्व की दर्ज थी। आवेदक अपनी स्वयं की भूमि में ही एप्रोच रोड़ का निर्माण करना था। इसी भूमि पर उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर के आदेश से स्वमित्व मिला था, लेकिन नगर निगम तथा नगर एवं ग्राम निवेश के अधिकारियों के साथ दुरभिसंधि कर शासकीय भूमि को रास्ता बताकर अनुमति प्राप्त की गई। अगर इस शासकीय भूमि को सुरक्षित नहीं रखा जाता है, तो इस भूमि का अंश रकबा 15276 वर्गफीट जिसका बाजार मूल्य तीन करोड़ से अधिक है, का शासन को नुकसान होता।

अग्निबाण 12/10/21

वैक्सीन का दूसरा डोज ही सुरक्षा की गारंटी

सीएम ने की कोविड नियंत्रण एवं टीकाकरण की समीक्षा

भोपाल, (प्रस)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन का दूसरा डोज ही सुरक्षा की गारंटी है। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए लोगों को इससे बचने के लिए सजग रहने की जरूरत है। श्री चौहान मुख्यमंत्री निवास से जिले के प्रभारी अधिकारियों के साथ कोविड नियंत्रण एवं टीकाकरण की वर्चुअल समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि टीकाकरण ही इससे बचाव का प्रभावी उपाय है। जिन्होंने वैक्सीन का प्रथम डोज लगवा लिया है वे दूसरा डोज अवश्य लगवाएं।

सीएम ने कहा कि प्रभारी अधिकारी कोरोना से बचाव और टीकाकरण की प्रभावी कार्य-योजना बनाएं। टीके का दूसरा डोज सभी को लग जाए, इसके लिए गंभीरता से कार्य करें। अपने जिले की परिस्थितियों के हिसाब से जिला कलेक्टर से समन्वय कर तीन दिवस में कार्य-योजना तैयार करें। इस कार्य-योजना की पुनः समीक्षा कर टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा।

महाअभियान चलाकर लगाया जाएगा दूसरा डोज

श्री चौहान ने कहा कि कोविड नियंत्रण के लिए महाअभियान चलाकर वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाया जाएगा। जिस तरह प्रथम डोज लगवाने के लिए सभी ने सक्रियता से कार्य किया है, उसी तरह दूसरा डोज लगाने के लिए भी पूरी गंभीरता से कार्य करें। वैक्सीन के दूसरे डोज का प्रतिशत बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास करें। अभी प्रदेश में 30 प्रतिशत लोगों को दूसरा डोज लग चुका है जो देश के 29 प्रतिशत औसत से थोड़ा अधिक है। हमारा प्रयास हो कि प्रथम डोज लगवा चुके सभी व्यक्तियों को दूसरा डोज लग जाए। टीके के प्रथम एवं दूसरे डोज के अंतर की पूर्ति करने का भी प्रयास करें।

प्रथम डोज का प्रतिशत भी बढ़ाएं

श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में 89 प्रतिशत लोगों को वैक्सीन का प्रथम डोज लग चुका है। प्रथम डोज लगाने में हम देश में अग्रणी हैं जो देश के 73 प्रतिशत औसत से अधिक है। प्रथम डोज के प्रतिशत को भी बढ़ाने के प्रयास करें और इसे 90 प्रतिशत तक ले जाएं।

२१७

राज एक्सप्रेस 13/10/21

सुबह एक्शन मोड में दिखे पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी, लोगो को दी चेतावनी

रतलाम, (इ खबरटुडे)। आज सुबह 8.30 बजे जब सड़क पर सब्जी की गाड़ी लगाने वाले अपनी पीड़ा बताने पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी के यहा पहुंचे और अपनी पीड़ा बताई। हिम्मत कोठारी उनके साथ बाजार पहुंचे और चौमुखी पुल से लेकर घांस बाजार तक सड़क पर सभी गरीब सब्जी वालो के लिए स्थानीय लोगो से भिड़ गए। सब्जी बेचने वालो की पीड़ा से आहात कोठरी ने कह दिया की सड़क पर बैठने वाले बैठ कर यही धंधा करेगे। कोठरी ने स्थानीय रहवासीयो से कहा की अगर तुमको तकलीफ है तो नगर निगम जाकर कहो की इनकी रसीद न बनाए। गरीबों के हित में आज बहुत आक्रोश में नजर आए और कहा की पैसा कमा लिया तो अब तुमसे गरीबों की पीड़ा दिखना बंद हो गई है । करीब आधे घण्टे चली इस बहस में वो सभी रहवासियों को चेतावनी देकर आए की ये सब्जी वाले और ठेले वाले यही खड़े रह कर धंधा करेगे मे इनके साथ हु। इसके बाद हिम्मत कोठरी गुस्से में चौमुखी पुल से घास बाजार तक पैदल आये।

10-10-21

शाकम्भरी दर्पण 13/10/21

सुविधा • सिटी के साथ जावरा फाटक से सेजावता फंटा व संत रविदास चौक से करमदी तक रोड बनेंगे फोरलेन

शहर के प्रमुख बाजार में हर सड़क बनेगी सीसी फोरलेन, 8.78 किमी का होगा दायरा

भास्कर संवाददाता | रतलाम

खराब सड़कों से परेशान जनता के लिए एक और राहत की खबर है। स्मार्ट सिटी के तहत तो शहर में फोरलेन बनेंगे ही। लोक निर्माण विभाग भी अपनी सड़कों को फोरलेन बनाएगा। इसके लिए विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए विभाग ने अपनी सभी रोड के प्रस्ताव बनाकर भोपाल भेज दिए हैं। भोपाल से स्वीकृत होते ही इनका निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। इससे शहर के भीतर और बाज़ार क्षेत्रों के रोड भी फोरलेन बन जाएंगे।

विभाग की शहर में 8.78 किलोमीटर सड़क है। ये सभी रोड अभी टू लेन हैं। विभाग अब इन सभी सड़कों को फोरलेन बनाएगा। इस पर विभाग 48 करोड़ रुपए खर्च करेगा। इसमें 10 करोड़ रुपए पानी की पाइप लाइन और बिजली के पोल शिफ्टिंग पर और 36 करोड़ रुपए में सड़क का निर्माण पर खर्च किए जाएंगे। ये फोरलेन दोनों साइड 5.50-5.50 और 7-7 मीटर तक चौड़े होंगे। जिन रोडों को निर्माण किया जा रहा है वो शहर के मध्य के हैं और प्रमुख मार्गों में शामिल हैं। इससे गड्ढों से तो मुक्ति मिलेगी। साथ ही आने-जाने में सुविधा होगी। यह पहला मौका होगा जब लोक निर्माण विभाग शहर में फोरलेन सीसी रोड बनाएगा। नहीं तो अभी तक विभाग द्वारा टू लेन का निर्माण ही किया जाता था।

लोक निर्माण विभाग पहली बार शहर में बनाएगा फोरलेन

- **जावरा फाटक अंडरब्रिज से सेजावता फंटा-** सड़क टू लेन होकर डामर की है। सड़कों के साथ विभाग इन रोड को भी फोरलेन बनाएगा। इसमें आने वाले दो रेलवे ब्रिज को छोड़कर शेष सड़क फोरलेन बनाई जाएगी। इसमें 15 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह रोड मंदसौर, नीमच, जावरा से शहर को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है।
- **संत रविदास चौक से करमदी-** यह शहर को झाबुआ रोड से जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है। अभी यह सड़क डामर की है। इसे भी फोरलेन बनाया जाएगा। 20 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा। इसमें एक ब्रिज भी बनाया जाएगा। साथ ही करमदी के अंदर की रोड के साथ ही एक रोड बाहर से भी निकाला जाएगा जो सीधे रतलाम-झाबुआ रोड से जुड़ेगा।

शहर के मध्य के इन रोड को फोरलेन बनाने की प्लानिंग बनाई

- ऑफिसर कॉलोनी से काजीपुरा
- हरमाला रोड
- त्रिपोलिया गेट रोड
- अमृतसागर रोड
- हाट रोड

अभी सड़कों पर गड्ढे हो रहे हैं। फोरलेन बनने से राहत मिलेगी।

इधर दो फोरलेन स्मार्ट सिटी के तहत बनेंगे, इनका निर्माण भी जल्द होगा शुरू

निगम द्वारा स्मार्ट सिटी के तहत दो फोरलेन बनाए जाएंगे। इसमें एक सैलाना बस स्टैंड से लोकेंद्र टॉकीज और दूसरा शास्त्रीनगर फोरलेन शामिल है। स्मार्ट सिटी के तहत इनका काम किया जाएगा। ये शहर के प्रमुख मार्ग हैं। इन दोनों मार्ग पर बाल अस्पताल, एमसीएच सहित अन्य शामिल हैं। इनके बनने से आने-जाने में सुविधा होगी और जाम से मुक्ति मिलेगी। अभी शास्त्री नगर मुख्य मार्ग पर गड्ढे हो रहे हैं। इससे लोगों को आने-जाने में परेशानी होती है। रोड बनने के बाद सुविधा होगी।

जहां जैसी साइज मिलेगी उस हिसाब से बनाएंगे फोरलेन

जो भी फोरलेन बनना है वे सभी सीएम घोषणा के हैं। इन सभी के प्रस्ताव बनाकर भेज दिए हैं। जहां जैसी जगह मिलेगी उस साइज में रोड का निर्माण किया जाएगा। तकनीकी स्वीकृत मिलते ही काम शुरू किया जाएगा। शहर में जो फोरलेन बनना है उस काम में पाइप लाइन शिफ्टिंग व पोल शिफ्टिंग का भी काम शामिल है।

अनुराग सिंह, ईई लोक निर्माण विभाग

दे.भास्कर 13/10/21

हे राम! ऐसा है सरकारी काम...

रावण का पुतला बनवाना भूला नगर निगम, नवरात्रि में याद आया तो ताबड़तोड़ निकाले टेंडर, कारीगर नहीं आए... ऐनवक्त तक सिर्फ 1 टेंडर

जो टेंडर आया... उसकी फाइल भी रात तक अफसरों के पास, अब पुतला बनाना किसी चुनौती से कम नहीं, दशहरे में सिर्फ 48 घंटे बाकी, अब खानापूर्ति ही होगी पुतले के नाम पर

भास्कर संवाददाता | रतलाम

इसे नगर निगम की सुस्ती कहें... या बड़ी भूल... क्योंकि नवरात्रि शुरू होने तक नगर निगम नींद से नहीं जागा था। दूज पर निगम को याद आया और ताबड़तोड़ रावण का पुतला बनाने के टेंडर निकाल दिए। सप्तमी तक एक भी टेंडर नहीं आया... अब ऐनवक्त पर टेंडर आ गया है। फाइल अफसरों के पास घूम रही है। इधर बड़ी चुनौती 48 घंटे में अच्छी क्वालिटी का रावण बनाना है। इस साल हनुमान ताल पर रावण दहन नहीं होगा, इसलिए ये शहर का एकमात्र रावण रहेगा।

2017 में 1.31 लाख में बना था 51 फीट रावण, स्थानीय कारीगर भुगतान से नाराज

- सोनी आर्ट्स पिछले 50 से भी ज्यादा सालों से रावण का पुतला बना रहा है। पवन सोनी ने बताया उनके पिता लक्ष्मीनारायण सोनी ने सबसे पहले रावण का पुतला बनाना शुरू किया था।
- पहले 6 फीट का रावण का पुतला बनाया था। 300 रुपए से रावण का पुतला बनाना शुरू किया था। उसके बाद साइज के साथ-साथ राशि भी बढ़ती गई।
- 2014 में 51 फीट का रावण व 20 फीट ऊंची व 65 फीट चौड़ी लंका बनाई थी। उस दौरान रावण व लंका 1.85 लाख रुपए में पवन सोनी ने बनाई थी। उसके बाद से उन्होंने पुतला बनाना बंद कर दिया।
- पवन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि राशि समय पर नहीं मिली, साथ ही राशि के लिए भटकना पड़ा।
- स्थानीय कारीगर कृष्णा सोनी ने बताया 2017 में 1.31 लाख रुपए में 51 फीट के रावण का पुतला बनाया था। उसकी राशि अब तक नहीं मिली, कई चक्कर लगाने के बाद 80 हजार रुपए ही मिल पाए। सेटिंग के चलते स्थानीय कारीगर टेंडर नहीं भरते हैं।

15 दिन पहले पत्र भी भेजता है नगर निगम, इस बार भेजे ही नहीं

करीब 14 या 15 दिन पहले ही नगर निगम स्थानीय कारीगरों को भुनाने में जुट जाता है। पुराने कारीगरों ने बताया दो सप्ताह पहले नगर निगम से पत्र आता है जिसमें रावण के पुतले बनाने के लिए टेंडर भरने के लिए कहा जाता है। इस बार पत्र ही नहीं आया है।

इधर... अधिकारी का रवैया ऐसा

चिंता की जरूरत नहीं *13 अक्टूबर तक कोटेशन निकलना है, कोटेशन निकलने के बाद रावण का पुतला बनवा दिया जाएगा। कोटेशन 13 या 14 अक्टूबर को निकले। 15 को दशहरा है उस दिन पुतला बन जाएगा। इसकी जवाबदारी नगर निगम की है। इसको लेकर किसी को चिंता की जरूरत नहीं है।*
विकास सोलंकी, उपायुक्त, नगर निगम

अधिकारियों को भेजा *टेंडर निकाल दिए गए थे, किसी ने भी टेंडर नहीं भरे हैं। ऐनवक्त पर फर्म ने टेंडर भरा है। इसकी स्वीकृति के लिए संबंधित अधिकारियों को भेज दिया है। 1 लाख की कम राशि में रावण के पुतले के लिए 8 अक्टूबर को टेंडर जारी किए थे। कारीगर द्वारा लगाए आरोप गलत हैं।*
हेमंत बंदोडिया, जनसंपर्क, नगर निगम

दै.भास्कर 13/10/21

मृत शिक्षक के परिवार को आर्थिक स्वत्व का भुगतान नहीं किया तो कलेक्टर हुए सख्त नाराज

शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बोले मानवीय संवेदना रखते हुए तत्काल कार्य करो

जिला स्तरीय जनसुनवाई में 48 आवेदनों पर सुनवाई की गई

स्वतंत्र समय, रतलाम। जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को कलेक्टेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने आवेदकों की समस्याएं, शिकायतें सुनते हुए निराकरण के निर्देश संबंधित विभागों को जारी किए। इस दौरान अपर कलेक्टर एम.एल. आर्य, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिड़े, एसडीएम अभिषेक गहलोत, डिप्टी कलेक्टर सुश्री मनीषा वास्कले तथा सुश्री कृतिका भीमावद ने भी जनसुनवाई की। निगमायुक्त श्री सोमनाथ झारिया सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। जनसुनवाई में जावरा की श्रीमती अर्चना शर्मा द्वारा आवेदन दिया गया कि उनके पति प्रकाशचंद शर्मा ग्राम उपरवाडा के शा. हाईस्कूल में शिक्षक थे। उनकी मृत्यु कोरोना से विगत अप्रैल में हुई लेकिन आज तक उनके परिजनों को पति के आर्थिक स्वत्व का भुगतान नहीं किया गया। इससे परिवार की आर्थिक हालत खराब हो गई, मानसिक रूप से भी परेशान है पेंशन भी नहीं मिल रही है। आवेदिका श्रीमती शर्मा की परेशानी सुनकर कलेक्टर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध सख्त नाराज हुए। सहायक संचालक को बुलाकर कहा कि मानवता का भाव रखना चाहिए। दिवंगत शिक्षक के जितने भी क्लेम है वे परिवार को दिलाने के लिए कार्यवाई करो और मुझे सूचित करो। श्रीमती कल्पना पति बंटी ने आवेदन में बताया कि प्रार्थिया पवाडिया रोड जावरा पर सपरिवार पट्टे के भवन में निवास [illegible] रही है तथा कुछ ही दूरी पर शासकीय चिकित्सालय बना हुआ है। जब भी प्रार्थिया उक्त पट्टे की भूमि पर अपना भवन निर्माण करने की कोशिश करती है तो अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा अभद्रता करते हुए मकान निर्माण नहीं करने दिया जाता है। बारिश के मौसम में भी उक्त पट्टा भवन का कुछ हिस्सा गिर चुका था जिससे रहने में काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। अतः नगर परिषद् जावरा से मकान बनाने की अनुमति दिलवाई जाए। प्रकरण निराकरण हेतु संबंधित अधिकारी को भेजा गया है। सुतारों का वास निवासी सागरमल ने जनसुनवाई में बताया कि प्रार्थी तथा पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहता है तथा बड़ा पुत्र आए दिन हमारे साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी देता है। पुत्र द्वारा पूर्व में घर में रखे हुए 25 हजार रुपए चोरी कर लिए थे और हमारी देखरेख भी नहीं की जाती है, प्रताडित किया जाता है। प्रकरण की सुनवाई करते हुए कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने एसडीएम शहर को निर्देशित किया कि सीएसपी के माध्यम से प्रकरण का शीघ्र निराकरण करवाया जाए। शेरानीपुरा रतलाम निवासी अजीज खां पिता बिन्दु खां ने आवेदन देते हुए कहा कि प्रार्थी की पैतृक भूमि भीलखेड़ी में स्थित है जिसका सर्वे नंबर 183/6 रकबा 0.400 हेक्टेयर पर भीलखेड़ी के ही कुछ लोगों द्वारा जबरन कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया गया है तथा आए दिन लड़ाई-झगडा करने पर आमादा हो जाते है। प्रकरण निराकरण हेतु तहसीलदार नामली को भेजा गया है। स्वतंत्र समय

स्वतंत्र समय 13/10/21

जिला स्तरीय जनसुनवाई में 48 आवेदनों पर सुनवाई

मृत शिक्षक के परिवार को भुगतान नहीं किया तो कलेक्टर हुए नाराज

रतलाम » दबंग रिपोर्टर

जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने आवेदकों की समस्याएं, शिकायतें सुनते हुए निराकरण के निर्देश संबंधित विभागों को जारी किए। इस दौरान अपर कलेक्टर एम.एल. आर्य, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिड़े, एसडीएम अभिषेक गेहलोत, डिप्टी कलेक्टर सुश्री मनीषा वास्कले तथा सुश्री कृतिका भीमावद ने भी जनसुनवाई की। निगमायुक्त सोमनाथ झारिया सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

जनसुनवाई में जावरा की श्रीमती अर्चना शर्मा द्वारा आवेदन दिया गया कि उनके पति प्रकाशचंद शर्मा ग्राम ऊपरवाडा के शा. हाईस्कूल में शिक्षक थे। उनकी मृत्यु कोरोना से विगत अप्रैल में हुई लेकिन आज तक उनके परिजनों को पति के आर्थिक स्वत्व का भुगतान नहीं किया गया। इससे परिवार की आर्थिक हालत खराब हो गई, मानसिक रूप से भी परेशान है पेंशन भी नहीं मिल रही है। आवेदिका श्रीमती शर्मा की परेशानी सुनकर कलेक्टर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध सख्त नाराज हुए। सहायक संचालक को बुलाकर कहा कि मानवता का भाव रखना चाहिए। दिवंगत शिक्षक के जितने भी क्लेम है वे परिवार को दिलाने के लिए कार्रवाई करो और मुझे सूचित करो।

शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बोले मानवीय संवेदना रखते हुए कार्य करो

मकान निर्माण की दिलवाएं अनुमति

श्रीमती कल्पना पति बंटी ने आवेदन में बताया कि प्रार्थिया पद्माडिया रोड जावरा पर सपरिवार पट्टे के भवन में निवास करती है तथा कुछ ही दूरी पर शासकीय चिकित्सालय बना हुआ है। जब भी प्रार्थिया उक्त पट्टे की भूमि पर अपना भवन निर्माण करने की कोशिश करती है तो अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा अभद्रता करते हुए मकान निर्माण नहीं करने दिया जाता है। बारिश के मौसम में भी उक्त पट्टा भवन का कुछ हिस्सा गिर चुका था जिससे रहने में काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। अतः नगर परिषद् जावरा से मकान बनाने की अनुमति दिलवाई जाए। प्रकरण निराकरण हेतु संबंधित अधिकारी को भेजा गया है।

सुतारों का वास निवासी सागरमल ने जनसुनवाई में बताया कि प्रार्थी तथा पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहता है तथा बडा पुत्र आए दिन हमारे साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी देता है। पुत्र द्वारा पूर्व में घर में रखे हुए 25 हजार रुपए चोरी कर लिए थे और हमारी देखरेख भी नहीं की जाती है, प्रताडित किया जाता है। प्रकरण की सुनवाई करते हुए कलेक्टर श्कुमार पुरुषोत्तम ने एसडीएम शहर को निर्देशित किया कि सीएसपी के माध्यम से प्रकरण का शीघ्र निराकरण करवाया जाए।

जमीन पर कर लिया कब्जा

शैरानीपुरा रतलाम निवासी अजीज खां पिता बिन्दु खां ने आवेदन देते हुए कहा कि प्रार्थी की पैतृक भूमि भीलखेडी में स्थित है जिसका सर्वे नंबर 183/6 रकबा 0.400 हेक्टेयर पर भीलखेडी के ही कुछ लोगों द्वारा जबरन कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया गया है तथा आए दिन लडाई-झगडा करने पर आमादा हो जाते हैं। प्रकरण निराकरण हेतु तहसीलदार नामली को भेजा गया है। काटजू नगर निवासी डा. मोहन परमार ने जनसुनवाई के दौरान आवेदन में बताया कि नगर निगम विकास शाखा की योजना क्रमांक 44 काटजू नगर पर भवन क्रमांक 148 के सामने की शासकीय भूमि पर कुछ कतिपय लोगो द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है तथा उक्त भूमि पर आए दिन असामाजिक लोगों का जमघट लगा रहता है जिससे समीप में रहने वाले लोगो को मानसिक रुप से क्षति पहुंच रही है। उक्त लोगो से कुछ कहा जाता है तो वे मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। शीघ्र न्याय किया जाए। प्रकरण निराकरण हेतु संबंधित विभाग को भेजा गया है।

दबंग

दबंग दुनिया 13/10/21

खसरा नंबर 209 ग्राम राजगढ़(सखवाल नगर में रंग कारखाने के नाम से) शासकीय लीज की जमीन थी उस पर भी भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा किया हुआ है को शासन के आधिपत्य में लेने की कार्यवाही के लिए क्या जिला कलेक्टर आवश्यक कार्यवाही करेंगे?

(डी.पी. अग्रवाल)

रतलाम। विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उपरोक्त खसरा नंबर 209 की भूमि जो पूर्व में सज्जन मिल को शासन द्वारा लीज पर दी थी जिस पर सज्जन मिल का रंगाई का कार्य होता था इसलिए इसे रंग कारखाने के नाम से बताई गई है, इसकी जांच रतलाम में रही पूर्व एसडीएम रानी बाटड़ द्वारा कलेक्टर डॉ. गोयल के निर्देश पर एसडीएम न्यायालय में चलाया गया जहां पर विपक्ष द्वारा जमीन के स्वामित्व के संबंध में कोई भी सबूत प्रस्तुत नहीं किए जा सकने के बाद एसडीएम बाटड़ द्वारा अपना नोट जिला कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया उसको आधार बनाकर डॉ. संजय गोयल द्वारा अपनी नोटशीट निर्देश जारी किए गए जो आपके शासकीय रिकार्ड फाइल में मौजूद होगा नहीं तो पत्र संपादक उक्त नोटशीट की कापी आपको उपलब्ध करवाने को तत्पर है, जिसके लिए पूर्व कलेक्टर डॉ. संजय गोयल ने दिनांक 3-9-2014 को आदेश पारित कर नजूल विभाग को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दी थी परंतु खेद का विषय है कि उनके ट्रांसफर के बाद विभाग में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों तथा उनके रीडरों ने भूमाफियाओं से सांठगांठ कर शासन को चूना लगाने का प्रयास किया और प्रकरण शायद अभी तक लंबित है। शासन हित में जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम सा. से अपेक्षा है कि इस प्रकरण की फाइल बुलवाकर कृपया उक्त जमीन को शासन के आधिपत्य में लेने के निर्देश प्रदान करेंगे, यही अपेक्षा है।

क्या जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम शहर में छत्रीपुल नाले के पास स्थित खसरा नंबर 117 की भूमि शासकीय रिकार्ड वर्ष 2015-16 में नजूल की बताई है को शासन के आधिपत्य में लेंगे?

रतलाम। विशेष सूत्रों से हमारे संवाददाता को जनता में चल रही चर्चा से ज्ञात हुआ कि भूमाफियाओं की जिला प्रशासन के अधिकारियों की आपसी मिलीभगत से खसरा नंबर 117 की शासकीय भूमि जो छत्रीपुल के पास स्थित है, वर्ष -2015-16 के शासकीय नजूल की दर्शाई गई है को न्यायालय तहसीलदार नजूल के पत्र क्रं. नजूल/रीडर/11/045 दिनांक 30-12-2011 के अनुसार सर्वे क्रं. 117 का रकबा 1462 वर्गफुट भूमि, राजकुमार पिता बाबूलाल मेहता निवासी स्टेशन रोड रतलाम को व्यावसायिक प्रयोजन हेतु शासकीय आबादी (गांवठान) की भूमि दी थी परंतु उक्त व्यक्ति के बारे में जानकारी मिली की उक्त व्यक्ति रतलाम से बाहर चला गया है और उस पर दूसरे व्यक्ति ने आधिपत्य जमा रखा है। अतः शासन हित में आपसे अपेक्षा है कि किसी विश्वासपात्र पटवारी और नायब तहसीलदार से प्रकरण की गहराई से जांच करवाकर उक्त शासकीय जमीन को जिला प्रशासन के आधिपत्य में लेने के निर्देश प्रदान करें। शाकम्भरी

शाकम्भरी दर्पण 13/10/21

माफिया के खिलाफ सरकारी अभियान,

कार्यवाही होगी या समाजसेवी बनकर फिर बच निकलेंगे माफिया

तुषार कोठारी (ई-खबर टुडे)

रतलाम। सूबे के मुखिया मामा जी के माफिया की नकेल कसने के फरमान पर अब जिले का इंतजामिया कदम उठाने की तैयारियां तो कर रहा है,लेकिन ये तैयारियां फिलहाल फाईलों में ही चलती नजर आ रही है। वैसे कहने को तो नगर निगम ने बीते दिन दो चार जगहों पर बुलडोजर [illegible] है लेकिन शहर के चर्चित माफियाओं पर शिकंजा कसने की फिलहाल शुरुआत नहीं हुई है।

मामा के फरमान के बाद इंतजामियां के बडे साहब ने तमाम मातहतों को माफियाओं की फाईलें तैयार करने के निर्देश जारी कर दिए थे। इन निर्देशों पर अभी कितना काम हुआ है,यह फिलहाल सामने नहीं आया है। शहर के लोग तमाम तरह के माफियाओं को बडे अच्छे से पहचानते है। लेकिन सरकारी तौर पर इनकी पहचान अभी छुपी हुई है। इनमें से कई माफिया,कलफदार कपडे पहन कर अफसरों के चैम्बरों में भी देखे जा सकते है।

इस शहर में सबसे ज्यादा पावरफुल माफिया,जमीनों वाले है,जिन्हे भू माफिया कहा जाता है। इनमें से ज्यादातर खुद को नगर नियोजक (कालोनाइजर) और समाजसेवी बताते है। महंगी गाडियों में कलफदार कपडे पहने हुए ये माफिया इतने ताकतवर है कि तमाम नेता भी इनसे नजदीकी रखते है। कई सारे नेताओं की तो इन माफियाओं के साथ हिस्सेदारी भी है। लोगों का कहना है कि माफियाओं के खिलाफ चलने वाले अभियानों से ये पावरफुल माफिया खुद को समाजसेवी बताकर बडी आसानी से बच निकलते है।

शहर में सैकडों अवैध कालोनियां बनाई गई। इन अवैध कालोनियों में जीवन भर की जमा पूंजी खर्च करके घर बनाने वाले आम लोगों को ये पता ही नहीं था कि वे जहां प्लाट खरीद रहे है,वो अवैध कालोनी है। उन्होने अवैध कालोनी में प्लाट खरीदे। भू माफियाओं ने अपनी जादूगरी से इन प्लाटों की रजिस्ट्रिया भी करवा दी। फिर जब मकान बनाने की नौबत आई,तो माफिया ने अपने रसूख का इस्तेमाल कर उनका मकान भी बन जाने दिया। ना उन्हे नगर निगम ने रोका और ना किसी और ने। बेतरतीब मकान बनते गए। कालोनी तो बनी,लेकिन ना तो उसमें सडकें बनीं,ना ही नालियों की व्यवस्था हुई। बरसों गुजरते गए। ये लोग अवैध कालोनी में रहने की कीमत तकलीफें उठाकर चुकाते रहे। फिर अवैध कालोनियों को वैध करने का मुद्दा चुनावी मुद्दा बना और आखिरकार कई सारी अवैध कालोनियों को सरकार ने वैध कर दिया।

ये सबकुछ तो हो गया,लेकिन अवैध कालोनी बनाने वाले किसी भी भू माफिया के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नही हुई। उलटे उनके द्वारा बनाई गई अवैध कालोनी के वैध हो जाने से उनके हौसले और बुलन्द हो गए। अब उन्हे पता चल चुका है कि अवैध कालोनी बना देने से उनका कुछ नहीं बिगडेगा।

शहर में ऐसी सैकडों मिसालें है। किसी कालोनाईजर ने कालोनी के बगीचे को बेच दिया,तो किसी ने गारंटी में रखे गए प्लाट बेच कर रजिस्ट्री करवा दी। किसी ने एक ही प्लाट दो लोगों को बेच दिया,तो किसी ने जो प्लाट बेचा,वो मौके पर था ही नहीं। भू माफियाओं के सताए हुए लोगों की तादाद हजारों में है। वे बेचारे इनसे लड लड कर थक चुके है,लेकिन इन माफियाओं का कुछ नहीं बिगाड पाए।

शहर में चर्चित भू माफियाओं की तादाद भी कम नहीं है। इन भू माफियाओं को हर कोई जानता है। सिर्फ वही जानना नहीं चाहते जिन्हे इनके खिलाफ कार्यवाही करना होती है। इसी का नतीजा है कि भू माफियाओं का दुस्साहस बढता जा रहा है। ये तमाम नियम कायदों को फालतू समझते है। किसी भी सरकारी जमीन को हडपने के लिए इनके पास सैकडों फार्मूले है। ऐतिहासिक धरोहरों की बंदरबाट करने में भी इन्हे कोई हिचक नहीं है। लोकेन्द्र भवन जैसी राजसम्पत्ति को शहर के चर्चित भू माफिया ने जालसाजी करके हडप ही लिया था। ये तो गनीमत रही कि इंतजामिया ने लोकेन्द्र भवन में गलत तरीके से किए जा रहे निर्माण पर रोक लगा दी है। शहर में ऐसी तमाम कहानियां बिखरी पडी है। माफिया के खिलाफ शुरु हो रहे अभियान पर लोगों ने नजरें लगा रखी है। लोग जानना चाहते है कि पावरफुल माफियाओं के खिलाफ कोई सख्त एक्शन होगा या इस बार भी ये खुद को समाजसेवी बताकर बच निकलेंगे?

तहसीलदारों की लगी क्लास

जिला इंतजामिया के बडे साहब इन दिनों फार्म में नजर आ रहे है। उन्होने जिले के तमाम तहसीलदारों की जम कर क्लास ली। जिले के कुछेक तहसीलदारों को छोड दिया जाए,तो ज्यादातर स्थानों पर जमकर बदइंतजामियां चल रही है। नए नए नायब बने अफसर बेझिझक वसूली में लगे हुए है। हालत यह है कि किसी जमीन के रजिस्टर्ड विक्रय के बाद भी नामांतरण के लिए भारी चढावा चढाना पडता है,जबकि शासन ने रजिस्टर्ड विक्रय के मामलों में सीधे नामांतरण करने के निर्देश दे दिए है। यही स्थिति बंटवारे की भी है। अविवादित बटवारे के लिए समयसीमा निर्धारित होने के बावजूद मामलों को लम्बे समय तक लटकाया जाता है,ताकि चढावा मिल सके। बडे साहब ने इन सारे मामलों पर तहसीलदारों को फटकार लगाई है। उम्मीद की जाए कि तहसीलों के हालातों में बदलाव आएगा। हांलाकि इस बदलाव के लिए यह जरुरी है कि बडे साहब इस पर लगातार नजर रखे और नामांतरण बंटवारे के मामलों की निरन्तर समीक्षा होती रहे।

शाकम्भरी

शाकम्भरी दर्पण 13/10/21

वॉल्व में फंसी गेंद : धोलावड़ के पास एयरवॉल्व में से निकलने लगा पानी, मेंटेनेंस के बाद पानी का बहाव रोका

रतलाम | धोलावड़ के पास मंगलवार को एयरवॉल्व से पानी निकलने लगा। दरअसल, वॉल्व में गेंद फंस जाने के कारण ऐसा हुआ था। हालांकि, कुछ देर बाद ही वॉल्व को सुधार दिया गया। भास्कर

दै. भास्कर 13/10/21

मृत शिक्षक के परिवार को आर्थिक स्वत्व का भुगतान नहीं करने पर कलेक्टर हुए नाराज

जिलास्तरीय जनसुनवाई में 48 आवेदनों पर सुनवाई की

रतलाम ● स्वदेश समाचार

जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने आवेदकों की समस्याएं, शिकायतें सुनते हुए निराकरण के निर्देश संबंधित विभागों को जारी किए।

जनसुनवाई में जावरा की श्रीमती अर्चना शर्मा द्वारा आवेदन दिया गया कि उनके पति प्रकाशचंद शर्मा ग्राम ऊपरवाडा के शा. हाईस्कूल में शिक्षक थे। उनकी मृत्यु कोरोना से विगत अप्रैल में हुई लेकिन आज तक उनके परिजनों को पति के आर्थिक स्वत्व का भुगतान नहीं किया गया। इससे परिवार की आर्थिक हालत खराब हो गई, मानसिक रूप से भी परेशान है। पेंशन भी नहीं मि रही है। आवेदिका श्रीमती शर्मा क परेशानी सुनकर कलेक्टर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध सख्त नाराज हुए। सहायक संचालक को बुलाकर कहा कि मानवता का भाव रखना चाहिए। दिवंगत शिक्षक के जितने भी क्लेम है वे परिवार को दिलाने के लिए कार्रवाई करो और मुझे सूचित करो।

अस्पताल कर्मचारी नहीं करने दे रहे मकान निर्माण

श्रीमती कल्पना पति बंटी ने आवेदन में बताया कि प्रार्थियां पहाड़िया रोड जावरा पर सपरिवार पट्टे के भवन में निवास करती है तथा कुछ ही दूरी पर शासकीय चिकित्सालय बना हुआ है। जब भी प्रार्थियां उक्त पट्टे की भूमि पर अपना भवन निर्माण करने की कोशिश करती है तो अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा अभद्रता करते हुए मकान निर्माण नहीं करने दिया जाता है। बारिश के मौसम में भी उक्त पट्टा भवन का कुछ हिस्सा गिर चुका था जिससे रहने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अतः नगर परिषद् जावरा से मकान बनाने की अनुमति दिलवाई जाए। प्रकरण निराकरण हेतु संबंधित अधिकारी को भेजा गया है।

बड़ा पुत्र आए दिन करता है मारपीट

सुतारों का वास निवासी सागरमल ने जनसुनवाई में बताया कि प्रार्थी तथा पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहता है तथा बड़ा पुत्र आए दिन हमारे साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी देता है। पुत्र द्वारा पूर्व में घर में रखे हुए 25 हजार रुपए चोरी कर लिए थे और हमारी देखरेख भी नहीं की जाती है, प्रताडित किया जाता है। प्रकरण की सुनवाई करते हुए कलेक्टर ने एसडीएम शहर को निर्देशित किया कि सीएसपी के माध्यम से प्रकरण का शीघ्र निराकरण करवाया जाए।

जमीन पर किया कब्जा

शेरानीपुरा रतलाम निवासी अजीज खां पिता बिन्दु खां ने आवेदन देते हुए कहा कि प्रार्थी की पैतृक भूमि भीलखेड़ी में स्थित है जिसका सर्वे नंबर 183/6 रकबा 0.400 हेक्टेयर पर भीलखेड़ी के ही कुछ लोगों द्वारा जबरन कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया गया है तथा आए दिन लड़ाई-झगड़ा करने पर आमादा हो जाते हैं। प्रकरण निराकरण हेतु तहसीलदार नामली को भेजा गया है। काटजू नगर निवासी डॉ. मोहन परमार ने जनसुनवाई के दौरान आवेदन में बताया कि नगर निगम विकास शाखा की योजना क्रमांक 44 काटजू नगर पर भवन क्रमांक 148 के सामने की शासकीय भूमि पर कुछ कतिपय लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है तथा उक्त भूमि पर आए दिन असामाजिक लोगों का जमघट लगा रहता है जिससे समीप में रहने वाले लोगों को मानसिक रूप से क्षति पहुंच रही है। उक्त लोगों से कुछ कहा जाता है तो वे मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। शीघ्र न्याय किया जाए। प्रकरण निराकरण हेतु संबंधित विभाग को भेजा गया है।

स्वदेश

स्वदेश 13/10/21

कोरोना की दूसरी डोज भी सभी पात्रों को लगना सुनिश्चित हो

भोपाल । प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज की लगभग सेचुरेशन की स्थिति आ चुकी है। पहली डोज लगवा चुके और द्वितीय डोज के लिये पात्र 71 प्रतिशत को वैक्सीन लगाई गई है। वर्तमान में 68 लाख 91 हजार पात्र नागरिकों को द्वितीय डोज लगाई जाना है। दूसरी डोज के लिये पात्रता हासिल करने वालों की संख्या के दिन-प्रतिदिन बढ़ने के चलते द्वितीय डोज के लिये पात्र शत-प्रतिशत नागरिकों के टीकाकरण की कार्य-योजना बनाने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं। एनएचएम संचालक सुश्री प्रियंका दास ने 14 अक्टूबर तक कार्य-योजना बनाकर 18 अक्टूबर, 2021 से कार्य-योजना को क्रियान्वित करने के लिये क्षेत्रीय संचालकों, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों और जिला टीकाकरण अधिकारियों को लक्ष्य पूर्ति के लिये कार्य-योजना बनाने के निर्देश जारी किये गये हैं। मिशन संचालक सुश्री दास ने अधिकारियों को दिये निर्देश में कहा है कि कोविड-19 टीकाकरण की दूसरी डोज के लिये ड्यू और ओवरड्यू नागरिकों की सूची टीकाकरण केन्द्रवार और विकासखण्डवार प्रचलित कोविन प्रणाली पर उपलब्ध है। फ्री प्रेस

फ्री प्रेस एक्सप्रेस 13/10/21

कोरोना से राहत, 74 दिन में 67 हजार लोगों के सैंपल, पॉजिटिव निकले 6

कोरोना पर नियंत्रण के लिए नाकों पर ले रहे सैंपल

भास्कर संवाददाता | रतलाम

जिले में कोरोना की सैंपलिंग जारी है। 74 दिन में 67 हजार लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं, इनमें से सिर्फ 6 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।

मरीजों के साथ नाकों पर भी सैंपल लिए जा रहे हैं। 31 जुलाई से 12 अक्टूबर के बीच 74 दिन में 67 हजार लोगों के सैंपल हो चुके हैं, इनमें से 6 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। अब तक 308269 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं। भास्कर

सैंपल इसलिए... ताकि स्थिति पता चल सके

कोरोना के मामले भले कम मिल रहे है, लेकिन सैंपलिंग इसलिए की जा रही है ताकि जिले में कोरोना का साइलेंट अटैक ना हो। रेंडमली सैम्पलिंग होने से स्थिति के बारे में पता चल सके। अभी जिन लोगों के सैंपल पॉजिटिव आ रहे हैं, उन्हें कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं। हालांकि, बतौर एहतियात उन्हें आइसोलेट किया जा रहा है।

अब कुल 17506 केस मिल चुके, एक दिन में मिल रहे थे 300 मामले : जिले में अब तक 17506 मामले सामने आ चुके हैं। सबसे बुरा वक्त मई और जून का रहा। उस दौरान कोरोना पीक पर था, एक दिन में औसतन 300 मामले सामने आ रहे थे। एक्टिव केस का आंकड़ा 5 हजार के पार हो गया था। मेडिकल कॉलेज में मरीजों के लिए बेड तक नहीं बचे थे।

सैंपलिंग लगातार हो रही ■ कोरोना के मामले में राहत है। सैंपलिंग लगातार हो रही है। हालांकि, सावधानी रखना नहीं भूलना चाहिए। मास्क और सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखें। **गौरव बोरीवाल**, एपेडेमियोलॉजिस्ट

दै. भास्कर 13/10/21

शहर की जर्जर सड़कों के चलते वाहनों का माइलेज घटा, डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच मेंटेनेंस बढ़ा

वाहन चालक, लोडिंग वाहन चालक परेशान, बोले-कब से शुरू होगा सड़कों का निर्माण

सड़कों पर हो रहे गड्ढों से वाहनों चालकों पर पड़ रही है दोहरी मार

भास्कर संवाददाता | रतलाम

डीजल की बढ़ती कीमतों और सड़कों पर हो रहे चार से पांच इंच के गड्ढों से वाहन चालकों पर दोहरी मार पड़ रही है। गड्ढों के कारण वाहनों का एवरेज तो घट गया है। वहीं इन गड्ढों से मेंटिनेंस भी बढ़ गया है। खराब सड़कों की सबसे ज्यादा मार पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में शहर में दौड़ रही मैजिक, ऑटो और लोडिंग वाहनों पर हो रहा है और इन वाहनों का मेंटिनेंस खर्च बढ़ गया है। लॉकडाउन के बाद आए त्योहार के बीच जैसे-तैसे सवारियां मिलना शुरू हुई थीं लेकिन बारिश के कारण सड़कों पर हो रहे बड़े-बड़े गड्ढों ने वाहन चालकों की मुसीबत बढ़ा दी है।

एक साल पहले डीजल के भाव 78 रुपए प्रति लीटर थे। अब डीजल के भाव 100.22 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। इससे वाहन का संचालन 22 फीसदी महंगा हो गया था। ऊपर से बारिश से खराब हुई सड़कों से वाहनों का मेंटिनेंस बढ़ गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलने वाली मैजिक के साथ ही ऑटो चालक और लोडिंग वाहन चालक भी गड्ढों से भरी सड़कों से परेशान हैं और उनका भी मेंटिनेंस बढ़ गया है। भास्कर

खराब सड़कों से ऐसे हो रहा है वाहनों को नुकसान

- मैजिक, लोडिंग वाहनों का एवरेज 10 किलोमीटर प्रति लीटर है। गड्ढों के कारण वाहनों को स्पीड नहीं मिल पा रही और बार-बार ब्रेक लगाने से एवरेज घट गया है। इससे वाहनों का एवरेज 7 किमी प्रति लीटर रह गया है।
- गड्ढों के कारण वाहनों की कमानी टूट रही है साथ ही टायर सहित अन्य पार्ट्स खराब हो रहे हैं। इससे मेंटिनेंस बढ़ गया है। इससे वाहन चालकों को डेढ़ से दो हजार रुपए मेंटिनेंस पर खर्च करना पड़ रहे हैं।

खराब सड़कों की वजह से डीजल की खपत बढ़ गई

रतलाम जिला ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के महासचिव प्रदीप छिपानी ने बताया पहले ही डीजल के भाव 100 रुपए के पार पहुंच गए हैं। ऊपर से खराब सड़कों ने मुसीबत बढ़ा दी है। शहर की जर्जर सड़कों से वाहनों में डीजल की खपत बढ़ गई है क्योंकि खराब सड़कों के कारण बार-बार ब्रेक लगाना पड़ रहे हैं। इससे जो लोडिंग वाहन 10 का एवरेज दे रहा था वो 7 का भी नहीं दे रहा है। सड़कों की मरम्मत जल्द शुरू की जाए। कहां तक वाहन चालक घाटा सहेंगे।

हर महीने 1500 से 2000 हजार मेंटेनेंस में ही खर्च हो रहे हैं

मैजिक टेम्पो यूनियन के संरक्षक राजकुमार जैन लाला ने बताया शहर में हम सबसे सस्ती सेवा जनता को मुहैया कराते हैं लेकिन सड़कों पर हो रहे गड्ढों ने सभी मैजिक चालकों की दिक्कत बढ़ा दी है। इससे मेंटिनेंस बढ़ गया है। खराब सड़कों के कारण डेढ़ से दो हजार रुपए तो मेंटिनेंस पर ही खर्च करना पड़ रहे हैं। चार से पांच सड़कों को छोड़कर ऐसी कोई सड़क नहीं है जहां गड्ढे नहीं हो रहे हैं।

दै. भास्कर 13/10/21

तरक्की को आईना | शहर की खराब सड़कों का दर्द ऐसे बयां कर रहे संगठन

रतलाम | शहर की सड़कों पर बेतहाशा गड्ढे हो रहे हैं। इससे वाहन चलाना तो दूर पैदल चलना मुश्किल है। ना जनप्रतिनिधि सुन रहे हैं और ना ही अफसर। ऐसे में लोग अब होर्डिंग्स के ज़रिए दर्द बयां कर रहे हैं। प्रमुख सड़कों पर हो रहे गड्ढों को बताता यह होर्डिंग्स डालू मोदी बाजार पर लगा है। इसे एनएसयूआई के शहर उपाध्यक्ष नारायण चौधरी ने लगाया है। उन्होंने बताया कि शहर में विकास की बात की जाती है लेकिन सड़कों पर गड्ढे हो रहे हैं और दिनभर धूल उड़ रही है। जिम्मेदार विकास की बात कर रहे हैं लेकिन विकास तो कहीं नजर नहीं आता। फोटो-पिंटू मेहता

रतलाम

दै. भास्कर 13/10/21

है।

खुले में गंदगी करने पर 11 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर अतिक्रमण करते है उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 10 अक्टूबर को 14 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार खुले में गंदगी करने पर जगदीश, सूरजबाई, कलीम, जगदीश कालिका माता, शिव सोनकर बाल चिकित्सालय, गंगाराम, गंगा चायवाला, विनोद बाजना बस स्टैण्ड, श्रीराम खण्डेलवाल, वाईन शॉप स्टेशन रोड, सत्री गीता मंदिर रोड पर 100-100 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी।

एम.के. जैन का एक दिवस का वेतन काटा

रतलाम। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने नगर निगम के प्रभारी सहायक यंत्री एम.के. जैन द्वारा 11 अक्टूबर को प्रातः नगर निगम का मोबाईल नम्बर 7471144909 बंद रखने पर एक दिवस का वेतन काटकर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। सिंधमत० 12-10-21

सिंधम 12/10/21

खुले में गंदगी करने पर 11 व्यक्तियों पर जुर्माना

10/10/21 अग्निबाण

रतलाम। नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर अतिक्रमण करते है उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 10 अक्टूबर को 14 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार खुले में गंदगी करने पर जगदीष, सूरजबाई, कलीम, जगदीश कालिका माता, शिव सोनकर बाल चिकित्सालय, गंगाराम, गंगा चायवाला, विनोद बाजना बस स्टैण्ड, श्रीराम खण्डेलवाल, वाईन शॉप स्टेशन रोड, सत्री गीता मंदिर रोड पर 100-100 रुपए का स्पॉट फाइन कर भविष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी।

मोबाइल बंद रखने पर एम.के. जैन का एक दिवस का वेतन काटा

रतलाम। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने नगर निगम के प्रभारी सहायक यंत्री एम.के.जैन द्वारा 11 अक्टूबर को प्रातः नगर निगम का मोबाइल नम्बर 7471144909 बंद रखने पर एक दिवस का वेतन काटकर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

अग्निबाण 12/10/21

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डो की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी। वार्डो की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

स्वतंत्र लेखनी 13/10/21

योजना क्रं. 64 प्रेम नारायण डोंगरे नगर रतलाम में फर्जी नाम से नगर पालिक निगम द्वारा वर्ष 2000 में

न्यू रतलाम पब्लिक स्कूल के नाम पर करीब 34765.56 वर्गफुट जमीन आपसी मिलीभगत से दे दी, जबकि जिला शिक्षा विभाग में उक्त स्कूल 27-3-2014 तक रजिस्टर ही नहीं था

रतलाम। आम जनता में चर्चा है कि योजना क्रं. 64 प्रेमनारायण डोंगरे नगर रतलाम में नगर पालिक निगम द्वारा वर्ष 2000 में ऐसे स्कूल न्यू रतलाम पब्लिक स्कूल के नाम पर करीब 34765.56 वर्गफुट जमीन 10 रुपया प्रति स्क्वेयर फुट के दर से दे दी जबकि उक्त स्कूल के बारे में सूचना के अधिकार के तहत कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला रतलाम द्वारा उनके पत्र क्रं. 2014/ सूअनि/148/रतलाम दिनांक 27-3-2014 को जानकारी प्रदान की है कि डोंगरे नगर रतलाम क्षेत्र में न्यू रतलाम पब्लिक स्कूल के नाम से कोई शिक्षण संस्था संचालित नहीं है, उसके बाद भी नगर निगम और जिला प्रशासन रतलाम के जवाबदार अधिकारी जांच के नाम पर लीपापोती कर शायद है भूमाफियाओं को अवैध लाभ भ्रष्टाचार के तहत पहुंचाने के लिए समय व्यतीत कर जांच एजेंसियां भी लीपापोती करती दिखाई दे रही है। ऐसी भी जानकारी मिली है कि प्रकरण न्यायालय में चल रहा है जिसमें शिक्षा विभाग द्वारा सूचना के अधिकार के तहत दिनांक 27-3-2014 से यह साबित हो जाता है कि जब न्यू रतलाम पब्लिक स्कूल के नाम से कोई शिक्षण संस्था शिक्षा विभाग में दिनांक 27-3-2014 तक रजिस्टर्ड थी ही नहीं तो फिर निगम द्वारा जो जमीन न्यू रतलाम पब्लिक स्कूल के नाम पर दी गई उसके लिए आवेदनकर्ता द्वारा स्कूल के नाम पर धोखाधड़ीपूर्वक जमीन अलाट करवाकर नगर निगम के साथ छलपूर्वक जमीन हथियाना साबित हो रहा है उसके बावजूद निगम के जवाबदारों ने जमीन पर भवन निर्माण की इजाजत देकर क्या पद का दुरूपयोग किया जाना साबित नहीं हो रहा है? इतनी धोखाधड़ी साबित होने के बाद भी अब शासकीय जांच एजेंसियां तथा जिला प्रशासन व नगर निगम चुप क्यों है तथा माननीय न्यायालय को भी गलत जानकारी देकर गुमराह क्यों कर रहा है

शासन हित में तथा जनहित में जिल कलेक्टर से अपेक्षा है कि न्यू रतलाम पब्लि स्कूल को जो वर्ष 2000 में 34765.5 वर्गफुट जमीन अलाट की है उसे शि विभाग के द्वारा प्रदाय जानकारी दिनांक 27 3-2014 के आधार पर न्यायालय में प्रस्तु कर उक्त भूमि को शासन के आधिपत्य लें तथा नगर निगम के जवाबदार अधिकारि के विरूद्ध पद के दुरूपयोग की कार्यवाही निर्देश देकर भूमाफियाओं द्वारा अवैध रूप हथियाई जा रही सरकारी जमीनों पर कड़ाई रोक लगावें यही जनहित मेंम शासन हित होगा? पत्र संपादक आपको शिक्षा विभाग प्राप्त पत्र दिनांक 27-3-2014 की प्रमाणि कापी आपको शासन हित में उपलब्ध कर को तत्पर है।

क्या जिला कलेक्टर रतलाम भी उज्जैन कलेक्टर की तर्ज पर सक्षम परिवारों के नाम बीपीएल की सूची से हटवाएंगे?

रतलाम। विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उज्जैन कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देश पर उज्जैन नगरीय क्षेत्र और जिले में बीपीएल सूची का सर्वे कार्य किया जा रहा है, कारण कई ऐसे परिवार है जो पूर्ण रूप से गरीब नहीं होते हुए सक्षम है और इन्होंने सरकारी योजना का बेजा लाभ उठाने के लिए शासकीय स्तर पर या निगम और पंचायतों के अधिकारियों से सांठगांठ कर अपना नाम बीपीएल सूची में नाम जुड़वाकर दिए है को देखते हुए जिला कलेक्टर रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम से भी अपेक्षा है कि वो भी अपने स्तर पर निर्देश जारी कर ऐसे सक्षम लोगों के नाम शीघ्र बीपीएल सूची से हटवाने के निर्देश दे जो गरीब नहीं होकर सक्षम है तथा सरकारी योजना का अवैध रूप से नाजायज लाभ उठाकर (लूट) रहे है पर शीघ्र प्रतिबंध लगाया जावे, ऐसी जनहित में अपेक्षा है ताकि शासकीय योजना का लाभ पात्र लोगों को ही मिल सके।

शाकम्भरी दर्पण 13/10/21

मृत शिक्षक के परिवार को आर्थिक स्वत्व का भुगतान नहीं किया तो कलेक्टर हुए सख्त नाराज

शिक्षा विभाग के अधिकारियो से बोले मानवीय संवेदना रखते हुए तत्काल कार्य करो

जिला स्तरीय जनसुनवाई में 48 आवेदनों पर सुनवाई की गई

रतलाम । जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने आवेदकों की समस्याएं, शिकायतें सुनते हुए निराकरण के निर्देश संबंधित विभागों को जारी किए। इस दौरान अपर कलेक्टर श्री एम.एल. आर्य, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिड़े, एसडीएम श्री अभिषेक गहलोत, डिप्टी कलेक्टर सुश्री मनीषा वास्कले तथा सुश्री कृतिका भीमावद ने भी जनसुनवाई की। निगमायुक्त श्री सोमनाथ झारिया सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

जनसुनवाई में जावरा की श्रीमती अर्चना शर्मा द्वारा आवेदन दिया गया कि उनके पति प्रकाशचंद शर्मा ग्राम ऊपरवाडा के शा. हाईस्कूल में शिक्षक थे। उनकी मृत्यु कोरोना से विगत अप्रैल में हुई लेकिन आज तक उनके परिजनों को पति के आर्थिक स्वत्व का भुगतान नहीं किया गया। इससे परिवार की आर्थिक हालत खराब हो गई, मानसिक रूप से भी परेशान है पेंशन भी नहीं मिल रही है। आवेदिका श्रीमती शर्मा की परेशानी सुनकर कलेक्टर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध सख्त नाराज हुए। सहायक संचालक को बुलाकर कहा कि मानवता का भाव रखना चाहिए। दिवंगत शिक्षक के जितने भी क्लेम है वे परिवार को दिलाने के लिए कार्रवाई करो और मुझे सूचित करो।

श्रीमती कल्पना पति बंटी ने आवेदन में बताया कि प्रार्थिया पहाडिया रोंड जावरा पर सपरिवार पट्टे के भवन में

निवास करती है तथा कुछ ही दूरी पर शासकीय चिकित्सालय बना हुआ है। जब भी प्रार्थिया उक्त पट्टे की भूमि पर अपना भवन निर्माण करने की कोशिश करती है तो अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा अभद्रता करते हुए मकान निर्माण नहीं करने दिया जाता है। बारिश के मौसम में भी उक्त पट्टा भवन का कुछ हिस्सा गिर चुका था जिससे रहने में काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। अतः नगर परिषद् जावरा से मकान बनाने की अनुमति दिलवाई जाए। प्रकरण निराकरण हेतु संबंधित अधिकारी को भेजा गया है। सुतारों का वास निवासी सागरमल ने जनसुनवाई में बताया कि प्रार्थी तथा पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहता है तथा बडा पुत्र आए दिन हमारे साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी देता है। पुत्र द्वारा पूर्व में घर में रखे हुए 25 हजार रुपए चोरी कर लिए थे और हमारी देखरेख भी नहीं की जाती है, प्रताडित किया जाता है। प्रकरण की सुनवाई करते हुए कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने एसडीएम शहर को निर्देशित किया कि सीएः [illegible] के माध्यम से प्रकरण का शीघ्र निराकरण करवाया जाए।

शैरानीपुरा रतलाम निवासी अजीज खां पिता बिन्दु खां ने आवेदन देते हुए कहा कि प्रार्थी की पैतृक भूमि भीलखेडी में स्थित है जिसका सर्वे नंबर 183/6 रकबा 0.400 हेक्टेयर पर भीलखेडी के ही कुछ लोगों द्वारा जबरन कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया गया है तथा आए दिन लडाई-झगडा करने पर आमादा हो जाते हैं। प्रकरण निराकरण हेतु तहसीलदार नामली को भेजा गया है। काटजू नगर निवासी डा. मोहन परमार ने जनसुनवाई के दौरान आवेदन में बताया कि नगर निगम विकास शाखा की योजना क्रमांक 44 काटजू नगर पर भवन क्रमांक 148 के सामने की शासकीय भूमि पर कुछ कतिपय लोगो द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है तथा [illegible] भूमि पर आए दिन असामाजिक लोगों का जमघट लगा रहता है जिससे समीप में रहने वाले लोगो को मानसिक रुप से क्षति पहुंच रही है। उक्त लोगो से कुछ कहा जाता है तो वे मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। शीघ्र न्याय किया जाए। प्रकरण निराकरण हेतु संबंधित विभाग को भेजा गया है।

तेज एक्सप्रेस 13/10/21

भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई गई

रतलाम ● जिले में शासकीय भूमि को माफियाओं तथा अतिक्रमण से मुक्त किया जा रहा है। इस तारतम्य में मंगलवार को रतलाम ग्रामीण क्षेत्र में भी कार्रवाई की गई और शासकीय भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई गई। ग्रामीण तहसीलदार श्रीमती अनिता चोकोटिया ने बताया कि शनिवार को राजस्व अमले द्वारा पुलिस के साथ कार्रवाई करते हुए ग्राम सिमलावदाखुर्द में आधा बीघा शासकीय भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई गई तथा ग्राम रिंगनिया में एक बीघा शासकीय भूमि मुक्त कराई। मुक्त शासकीय भूमि जनपद पंचायत को मनरेगा से गोडाउन निर्माण के लिए उपलब्ध करा दी गई।

अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की

रतलाम ● एसडीएम आलोट राजेश शुक्ला ने बताया कि ताल में पांच कॉलोनियां अवैध रूप से बगैर अनुज्ञा के बनाई गई थी। कॉलोनाइजर द्वारा प्लाटिंग करके बेच दिया गया। इसके विरुद्ध शासकीय अमले द्वारा कार्रवाई करते हुए कॉलोनियों में बनाई गई सड़कों को तोड़ा गया। इस मामले में थाने में 9 व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई गई हैं। एसडीएम ने बताया कि आलोट क्षेत्र के ग्राम लसूड़ियाखेड़ी में भी एक हेक्टेयर शासकीय भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई गई है।

स्वदेश 13/10/21

डेंगू का हमला जारी • तीन साल से ठंड में ही मिल रहे सबसे ज्यादा केस, पिछले साल अक्टूबर तक सिर्फ 7 केस थे, इसके बाद 10 गुना तेजी से बढ़े मामले

अब पॉजिटिव 400 के करीब

अफसरों का दावा- कम होने लगेंगे मरीज हकीकत- नवंबर में ज्यादा मिलते हैं मामले

भास्कर संवाददाता | रतलाम

इस साल हमारे जिले में डेंगू का प्रकोप है। डेंगू नया रिकॉर्ड बनाने के करीब जा रहा है, कुल केस 400 के करीब आ गए हैं। बड़ी बात ये है कि आगे क्या होगा। इधर, मलेरिया विभाग के अधिकारियों का कहना है कि केस कम होने लग जाएंगे, इसका असर दिख रहा है, आंकड़ों की हकीकत अलग बात बयां कर रही है। दरअसल शहर में तीन साल से ठंड में ही डेंगू बेकाबू हो रहा है।

रतलाम में इस साल बारिश में डेंगू के केस बढ़ना शुरू हो गए थे। सितंबर में रफ्तार पकड़ी, रफ्तार भी ऐसी कि दो महीने में ही डेंगू लगभग हर दूसरे घर तक पहुंच गया। मामले 400 के करीब आ गए हैं। इधर डेंगू के मामले कुछ दिन से कम मिल रहे हैं लेकिन अभी निश्चित नहीं हो सकते। आंकड़े सिर्फ एलाइजा टेस्ट के हैं जबकि किट से पॉजिटिव आने वालों की संख्या ज्यादा है। अब ठंड की शुरुआत होगी, ठंड में ही शहर में ज्यादा मामले आते हैं।

जिले में डेंगू के भयावह स्वरूप के बाद लगातार बढ़ रही प्लेटलेट्स की डिमांड

हाई डिमांड : 80 से 100 यूनिट प्रतिदिन दे रहे

- जिले में प्लेटलेट्स की डिमांड भी हाई बनी हुई है। प्रतिदिन 80 से 100 यूनिट प्लेटलेट्स दिए जा रहे हैं।
- सामान्य दिनों में दो दिन में 5 से 7 यूनिट प्लेटलेट्स ही लगते हैं।
- 1 से 31 अगस्त तक 556 यूनिट प्लेटलेट्स दिए थे, वहीं 1 से 30 सितंबर तक 1921 लोगों को प्लेटलेट्स दिए जा चुके।
- रक्तदाताओं की बड़ी टीम प्लेटलेट्स के इंतजाम में भी जुटी है ताकि किसी को परेशानी ना हो।
- ये आंकड़े इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि प्लेटलेट्स उन लोगों को ही दिए जा रहे हैं जिनके काउंट 20 हजार से कम हैं।

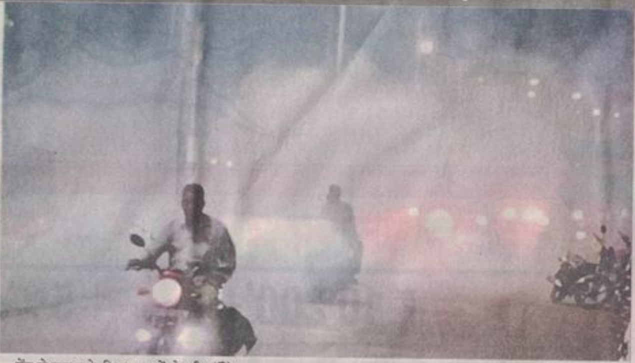

डेंगू से बचाव के लिए शहर में हो रही फॉगिंग।

महिलाओं और बच्चों पर ही डेंगू का ज्यादा अटैक

इधर जिले में महिलाओं और बच्चों में ही डेंगू के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। 2018, 2019 में 60% मामलों में महिलाओं और बच्चों पर ही डेंगू ने अटैक किया था। इस बार भी ऐसा ही है, अब तक मिले केस में 50% बच्चे और महिला शामिल है। दरअसल, डेंगू के मच्छर दिन में ही ज्यादा काटते हैं, इस दौरान घरों में ये लोग ज्यादा रहते हैं। भास्कर

इस साल सर्वाधिक मामले

2018 में अक्टूबर से दिसंबर के बीच मिले थे

2018 में ज्यादातर मामले अक्टूबर से दिसंबर के बीच मिले थे। इसके बाद से 2019 और 2020 में डेंगू के मामले ठंड में ज्यादा सामने आए थे। 2020 में सितंबर तक सिर्फ 5 ही डेंगू के केस थे, अक्टूबर तक 7 मामले आए थे। इसके बाद डेंगू के केस ने रफ्तार पकड़ी थी। सालभर में 42 केस ही आए थे, अभी इससे चार गुना से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं।

आने वाले दिन में कम होगा, केस कम होने लगे

उम्मीद कर सकते हैं कि डेंगू आने वाले दिन में कम होगा। अभी केस भी कम होने लगे हैं लेकिन सावधानी रखना नहीं भूलना होगा। यह भी सही है कि ठंड में मामले बढ़ते हैं।

– डॉ. प्रमोद प्रजापति, मलेरिया अधिकारी

दै. भास्कर 13/10/21

मृत शिक्षक के परिवार को आर्थिक स्वत्व का भुगतान नहीं किया तो कलेक्टर हुए सख्त नाराज

जिला स्तरीय जनसुनवाई में 48 आवेदनों पर सुनवाई की गई

'दैनिक अवन्तिका' ▸▸ रतलाम

जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने आवेदकों की समस्याएं, शिकायतें सुनते हुए निराकरण के निर्देश संबंधित विभागों को जारी किए। इस दौरान अपर कलेक्टर एम.एल. आर्य, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिड़े, एसडीएम अभिषेक गहलोत, डिप्टी कलेक्टर सुश्री मनीषा वास्कले तथा सुश्री कृतिका भीमावद ने भी जनसुनवाई की। निगमायुक्त श्री सोमनाथ झारिया सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

जनसुनवाई में जावरा की श्रीमती अर्चना शर्मा द्वारा आवेदन दिया गया कि उनके पति प्रकाशचंद शर्मा ग्राम ऊपरवाडा के शा. हाईस्कूल में शिक्षक थे। उनकी मृत्यु कोरोना से विगत अप्रैल में हुई लेकिन आज तक उनके परिजनों को पति के आर्थिक स्वत्व का भुगतान नहीं किया गया। इससे परिवार की आर्थिक हालत खराब हो गई, मानसिक रूप से भी परेशान है पेंशन भी नहीं मिल रही है। आवेदिका श्रीमती शर्मा की परेशानी सुनकर कलेक्टर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध सख्त नाराज हुए। सहायक संचालक को बुलाकर कहा कि मानवता का भाव रखना चाहिए। दिवंगत शिक्षक के जितने भी क्लेम है वे परिवार को दिलाने के लिए कार्रवाई करो और मुझे सूचित करो।

श्रीमती कल्पना पति बंटी ने आवेदन में बताया कि प्रार्थिया पहाडिया रोड जावरा पर सपरिवार पट्टे के भवन में निवास करती है तथा कुछ ही दूरी पर शासकीय चिकित्सालय बना हुआ है। जब भी प्रार्थिया उक्त पट्टे की भूमि पर अपना भवन निर्माण करने की कोशिश करती है तो अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा अभद्रता करते हुए मकान निर्माण नहीं करने दिया जाता है। बारिश के मौसम में भी उक्त पट्टा भवन का कुछ हिस्सा गिर चुका था जिससे रहने में काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। अतः नगर परिषद् जावरा से मकान बनाने की अनुमति दिलवाई जाए। प्रकरण निराकरण हेतु संबंधित अधिकारी को भेजा गया है।

सुतारों का वास निवासी सागरमल ने जनसुनवाई में बताया कि प्रार्थी तथा पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहता है तथा बडा पुत्र आए दिन हमारे साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी देता है। पुत्र द्वारा पूर्व में घर में रखे हुए 25 हजार रुपए चोरी कर लिए थे और हमारी देखरेख भी नहीं की जाती है, प्रताड़ित किया जाता है। प्रकरण की सुनवाई करते हुए कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने एसडीएम शहर को निर्देशित किया कि सीएसपी के माध्यम से प्रकरण का शीघ्र निराकरण करवाया जाए।

शैरानीपुरा रतलाम निवासी अजीज खां पिता बिन्दु खां ने आवेदन देते हुए कहा कि प्रार्थी की पैतृक भूमि भीलखेडी में स्थित है जिसका सर्वे नंबर 183/6 रकबा 0.400 हेक्टेयर पर भीलखेडी के ही कुछ लोगों द्वारा जबरन कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया गया है तथा आए दिन लडाई-झगडा करने पर आमादा हो जाते हैं। प्रकरण निराकरण हेतु तहसीलदार नामली को भेजा गया है।

काटजू नगर निवासी डा. मोहन परमार ने जनसुनवाई के दौरान आवेदन में बताया कि नगर निगम विकास शाखा की योजना क्रमांक 44 काटजू नगर पर भवन क्रमांक 148 के सामने की शासकीय भूमि पर कुछ कतिपय लोगो द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है तथा उक्त भूमि पर आए दिन असामाजिक लोगों का जमघट लगा रहता है जिससे समीप में रहने वाले लोगो को मानसिक रुप से क्षति पहुंच रही है। उक्त लोगो से कुछ कहा जाता है तो वे मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। शीघ्र न्याय किया जाए प्रकरण निराकरण हेतु संबंधित विभाग को भेजा गया है। अवन्तिका।

अवन्तिका 13/10/21

मानवीय संवेदना रखते हुए कार्य करें

मृत शिक्षक के परिवार को आर्थिक स्वत्व का भुगतान नहीं करने पर कलेक्टर नाराज

प्रशासन

- जनसुनवाई में 48 आवेदनों पर निराकरण के निर्देश
- शासकीय भूमि पर कब्जा हटाने की मांग को लेकर भी दिया आवेदन

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में हुई। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने आवेदकों की समस्याएं, शिकायतें सुनते हुए निराकरण के निर्देश संबंधित विभागों को दिए।

जनसुनवाई में जावरा की अर्चना शर्मा द्वारा आवेदन दिया गया कि उनके पति प्रकाशचंद शर्मा ग्राम ऊपरवाडा के शा. हाईस्कूल में शिक्षक थे। कोरोना से गत वर्ष अप्रैल में मौत होने के बाद आज तक स्वजनों को पति के आर्थिक स्वत्व का भुगतान नहीं किया गया। पेंशन भी नहीं मिल रही है। इस पर कलेक्टर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध सख्त नाराज हुए। सहायक संचालक को बुलाकर कहा कि मानवता का भाव रखना चाहिए। दिवंगत शिक्षक के जितने भी क्लेम हैं वे परिवार को दिलाने के लिए कार्रवाई करें। सुतारों का वास निवासी सागरमल ने जनसुनवाई में बताया कि प्रार्थी तथा पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहता है तथा बड़ा पुत्र आए दिन हमारे साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी देता है। पुत्र द्वारा पूर्व में घर में रखे हुए 25 हजार रुपए चोरी कर लिए थे। कलेक्टर ने एसडीएम शहर को निर्देशित किया कि सीएसपी के माध्यम से प्रकरण का शीघ्र निराकरण करवाया जाए।

काटजू नगर निवासी डा. मोहन परमार ने जनसुनवाई के दौरान बताया कि नगर निगम विकास शाखा की योजना क्रमांक 44 काटजू नगर पर भवन क्रमांक 148 के सामने की शासकीय भूमि पर कुछ कतिपय लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। उक्त भूमि पर आए दिन असामाजिक लोगों का जमघट लगा रहता है जिससे समीप में रहने वाले लोगों को मानसिक रूप से क्षति पहुंच रही है। प्रकरण निराकरण के लिए संबंधित विभाग को भेजा गया।

बाल विवाह नहीं करने का संकल्प

आलोट। प्रमिलागंज वार्ड नंबर 13 अयोध्या बस्ती में नवदुर्गा उत्सव पंडाल में अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता साधना रामावत ने उपस्थित महिला-पुरुषों को बाल विवाह नहीं करने का संकल्प दिलाया। रमेश नायक, कमलेश उमरवाल, मुकेश नायक, राधेश्याम प्रजापत, रमेश गुणेरा, दिनेश प्रजापत आदि उपस्थित थे।

नईदुनिया 13/10/21